न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023"

पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17 / 2020	12.10.2020	31.05.2023

अनवान

1. रूपा पिता सवाईराम जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शंकर पिता हरलाल जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. किशनलाल पिता भुरा जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. राजूलाल पिता गोपीलाल जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूलाल पिता नाथू तेली आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. हिरा पिता गमेर जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. घीसा पिता गमेर जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. इन्द्रमल पिता हरिकिशन जाति गुजर आयु वयस्क निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौडगढ।
5. जमनाबाई पत्नी भुरा जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. डाली पुत्री हरलाल जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. देउबाई पुत्री हरिकिशन जाति गुजर आयु वयस्क निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौडगढ।
8. देवीलाल पिता हरिकिशन जाति गुजर आयु वयस्क निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौडगढ।
9. धापु पुत्री सवाईराम जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. प्यारी पुत्री सवाईराम जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. भगवानलाल पिता गोपीलाल जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. भेरुलाल पिता गोपीलाल जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. मानी पुत्री सवाईराम जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. मोहनीबाई पत्नी गोपीलाल जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. रतनलाल पुत्र भूरा जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:23:01 IST
Reason: SelfAttested

16. राधाबाई पुत्री हरिकिशन जाति गुजर आयु वयस्क निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौडगढ।
17. लादूलाल पिता हरिकिशन जाति गुजर आयु वयस्क निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौडगढ।
18. लाली पुत्री भूरा जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. लीला पुत्री हरिकिशन जाति गुजर आयु वयस्क निवासी पारोली तहसील व जिला चित्तौडगढ।
20. सीता पुत्री भूरा जाति गुजर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र दोवनी में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थीगण ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, व अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 399 में अभिलिखित आराजी संख्या 309, 399 कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074—2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 339 के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 399 में अभिलिखित आराजी संख्या 309, 399 कुल किता 02 कुल रकबा 0.07 हैक्ट0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में [illegible] (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नि[illegible] जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जा[illegible] आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी[illegible] से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:23:01 IST
Reason: SelfAttested

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official